

कार्यालय सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, उज्जैन
क्र./4926/आरटीए/2019

उज्जैन, दिनांक 21.06.2019

// सार्वजनिक सूचना //

यात्री बसों के स्थायी परमिट से संबंधित आवेदन पत्र प्रकरणों की सुनवाई दिनांक 05.03.2019 अंतर्गत निम्नलिखित आवेदन पत्रों का निराकरण प्राधिकार द्वारा किया गया है :—

क्र.	एजे. स.क्र.	प्रकरण क्रमांक	विषय	आवेदक	निराकरण की स्थिति
1	5	रिमाण्ड 117 / 14	नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र बाबत मार्ग भानपुरा से भेसोदामंडी व्याहा लोटखेड़री पांच फेरा रोजाना	संजय कुमार पंजाबी भानपुरा	निराकृत
2	14	271 / 17	समयचक परिवर्तन बाबत। स्थायी अनुज्ञापत्र क्र. 112/एफ/15 मार्ग उज्जैन से जावरा पर एक वापसी फेरा रोजाना।	श्री शाकिर हुसैन, बड़नगर	निरस्त
3	37	5 / 18	नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र बाबत। मार्ग मनासा से मंदसौर व्हाया झार्डा नारायणगढ़ पिपलियामंडी पर एक वापसी फेरा रोजाना	श्री ओमपकाश शर्मा, जावरा	स्वीकृत
4	39	7 / 18	नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र बाबत। मार्ग बड़वानी से नीमच व्हाया कुक्षी बाग टांडा राजगढ़ सरदारपुर लाबरिया राजोद बदनावर सातरुण्डा रतलाम जावरा दलोदा मंदसौर मल्हारगढ़ पर एक वापसी फेरा रोजाना	श्री गोविंद मकवाना, बड़नगर	स्वीकृत
5	40	8 / 18	नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र बाबत। मार्ग नीमच से बड़वानी व्हाया मल्हारगढ़ मंदसौर दलोदा जावरा रतलाम सातरुण्डा बदनावर राजोद लाबरिया सरदारपुर राजगढ़ टांडा बाग कुक्षी पर एक वापसी फेरा रोजाना	श्री गोविंद मकवाना, बड़नगर	स्वीकृत
6	63	31 / 18	समयचक परिवर्तन बाबत। स्थाई अनुज्ञापत्र क्रमांक 20/एफ/14 मार्ग मंदसौर से रतलाम व्हाया दलोदा ढोढर जावरा नामली पर दो वापसी फेरा रोजाना।	श्रीमती सुनीता मेव, बोरदा	निरस्त
7	106	73 / 18	समयचक परिवर्तन बाबत। स्थायी अनुज्ञापत्र क्र. 167/एफ/17 मार्ग इंदौर से महीदपुररोड पर एक वापसी फेरा रोजाना।	श्री बालकृष्ण यादव, उज्जैन	स्वीकृत
8	122	89 / 18	समयचक परिवर्तन बाबत। स्थाई अनुज्ञापत्र क्रमांक 37/एफ/18 मार्ग भादवामाता से मंदसौर व्हाया मनासा नारायणगढ़ पिपल्या पर दो वापसी फेरा रोजाना	श्रीमती सुनीता बांगा, मनासा	निरस्त
9	152	119 / 18	नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र बाबत। मार्ग पोलायकला से व्यावरा व्हाया मोल्टा देवली खाटसूर अकोदिया शुजालपुर मायापुर बावडीखेड़ा तलेन पचोर करनावास पर एक वापसी फेरा रोजाना	श्री भूपेन्द्र सिंह उमठ, गेनूखेड़ी	स्वीकृत
10	177	144 / 18	नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र बाबत। मार्ग इंदौर से होशंगाबाद व्हाया डबलचोकी चापडा कन्नोद खातेगांव नसरुल्लागंज रेहटी सलकनपुर पर एक वापसी एवं एक सिंगल फेरा रोजाना	चार्ट्ड बस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर	स्वीकृत

11	178	145 / 18	<u>नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र बाबत।</u> मार्ग होशंगाबाद से इंदौर व्हाया सलकनपुर रेहटी नसरुल्लागंज खातेगांव कन्नोद चापडा डबलचोकी पर एक वापसी एवं एक सिंगल फेर रोजाना	चार्टड बस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर	स्वीकृत
12	179	146 / 18	<u>नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र बाबत।</u> मार्ग खिलचीपुर से इंदौर व्हाया राजगढ व्यावरा पचोर सारंगपुर शाजापुर मक्सी देवास पर एक वापसी एवं एक सिंगल फेर रोजाना	चार्टड बस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर	स्वीकृत
13	180	147 / 18	<u>नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र बाबत।</u> मार्ग इंदौर से खिलचीपुर व्हाया देवास मक्सी शाजापुर सारंगपुर पचोर व्यावरा राजगढ पर एक वापसी एवं एक सिंगल फेर रोजाना	चार्टड बस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर	स्वीकृत
14	184	151 / 18	<u>नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र बाबत।</u> मार्ग इंदौर से नीमच व्हाया लेबड बदनावर रतलाम मंदसौर पर एक वापसी एवं एक सिंगल फेर रोजाना	चार्टड बस प्राइवेट लिमिटेड, उज्जैन	स्वीकृत
15	189	156 / 18	<u>नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र बाबत।</u> मार्ग शाजापुर से इंदौर व्हाया मक्सी देवास पर दो वापसी फेर एवं एक सिंगल फेर रोजाना	चार्टड बस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर	स्वीकृत
16	199	165 / 18	<u>नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र बाबत।</u> मार्ग खिलचीपुर से इंदौर व्हाया राजगढ व्यावरा पचोर सारंगपुर शाजापुर मक्सी देवास पर एक वापसी फेर एवं एक सिंगल फेर रोजाना	चार्टड बस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर	स्वीकृत
17	210	176 / 18	<u>समयचक परिवर्तन बाबत।</u> स्थायी अनुज्ञापत्र क्र. 51/12 मार्ग हरदा से इंदौर पर एक वापसी फेरा रोजाना	श्री युगलकिशोर राठी, इंदौर	निरस्त

नोट – उपरोक्तानुसार आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया है जो उनके सम्मुख दर्शाया गया है,

(क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा आदेशित)

सही. हस्ता. / –
सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
उज्जैन

प्रतिलिपि –

- प्रभारी, स्मार्ट कार्ड शाखा, उज्जैन की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूची विभागीय बेबसाईट पर STA/RTA Document अंतर्गत प्रदर्शित करें।
- कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- संबंधित वाहनस्वामियों को सूचित किया जाता है कि सुनवाई दिनांक 05.03.2019 अंतर्गत उक्तानुसार आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है, अतः उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से स्वीकृत परमिट जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
- संबंधित क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत अनुज्ञापत्र के अधीन वाहनस्वामियों से स्थायी/अस्थायी अनुज्ञापत्र की दूरी अनुसार नियमानुसार प्रत्येक माह मोटरयान कर जमा कराना सुनिश्चित करें।

सही. हस्ता. / –
सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
उज्जैन